OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

Information Program on One Stop Centre Scheme

प्रति,

प्राचार्य महोदय,
शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनुपपुर,
जिला - अनुपपुर (मप्र) ।

विषय :- दिनांक 20-07-2020 को वन स्टॉप सेंटर (सखी) हेतु मीटिंग के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. /644/ स्था./2020 ; अनुपपुर, दिनांक 18-07-2020 ।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार आपके आदेश के पालनार्थ हम दिनांक 20-07-2020 को ऊषा किरण योजना अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर के सुचारु संचालन हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ,जो कि कलेक्ट्रेट के सभागार मेंदोपहर 2.00 बजे आयोजित की गई थी , में सम्मिलित हुए।

उक्त बैठक के संबंध में हमारा प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

डॉ आकांक्षा राठौर
सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग)
प्रीति वैश्य
सहा. प्राध्यापक (अर्थशास्त्रविभाग)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजना पर रिपोर्ट

आज दिनांक 20-07-2020 को , ऊषा किरण योजना अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर (सखी) पीड़ित महिला सहायता केंद्र के सुचारु रूप से संचालन हेतु जिला समन्वय समिति की बैठक माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में दोपहर 2.00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई थी। इस बैठक का संचालन महिला सशक्तिकरण अधिकारी मंजूषा शर्मा जी ने किया। इस बैठक में शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनुपपुर की ओर से वाणिज्य विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ आकांक्षा राठौर एवं अर्थशास्त्र विभाग की सहायक प्राध्यापक सुश्री प्रीति वैश्य सम्मिलित हुई। बैठक में योजना के बारे में जानकारी देते हुए मंजूषा मेडम ने बताया कि किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं को अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, चिकित्सा एवं विधि सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध किये जाने का प्रावधान है । इस हेतु वन स्टॉप सेंटर का निर्माण थर्ड फ्लोर जिला चिकित्सालय अनुपपुर में किया गया है।

उल्लेखनीय है कि One Stop Center (OSC) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। जिसका लक्ष्य किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं ,जिनमें 18से कम वर्ष की बालिकाएं भी सम्मिलित हैं को सहायता प्रदान करना है। साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय (बालक की देख रेख व संरक्षण)अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को एक सेंटर से जोड़ने का लक्ष्य भी है।

बैठक में उपस्थित महिला अधिवक्ता ने कुछ स्थानीय घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे महिलाएं पारिवारिक व सामाजिक दबाव या आर्थिक कारणों की वजहों से शिकायतें दर्ज नहीं कर पाती और यदि कर भी दें तो स्वयं राजीनामा कर शिकायतें वापस ले लेतीं हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें वन स्टॉप सेंटर तक लाना भी एक बड़ी चुनौती है। इस हेतु भी प्रयास आवश्यक हैं।

साथ ही इस योजना के प्रचार एवं महिलाओं व छात्राओं को जागरूक किये जाने के संबंध में चर्चा की गई। इस संबंध में कोरोना उपरांत बालिकाओं के लिये आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं महिला हिंसा संबंधी विधिक प्रावधानों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के सुझावों पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस बात की अनिवार्यता पर बल दिया गया कि महिलाएं अपनी शिकायतें बिना किसी भय के दर्ज कराएं, इसके लिए उन्हें यथोचित परामर्श एवं सहयोग भी दिया जाना चाहिए । महिलाओं एवं बच्चों की हिंसा के संबंध में प्रारंभ से भी हेल्पलाइन नंबर 1091 व 1098 उपलब्ध हैं ,जिन पर संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। 100 डायल की सुविधा के साथ ही वन स्टॉप सेंटर में निःशुल्क विधि सहायता भी प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

बैठक में शामिल पुलिस विभाग की महिला उपनिरीक्षक संगीता गुप्ता जी ने बताया कि पीड़ित महिला का थाने में FIR दर्ज कराया जाना बहुत जरूरी है। महिलाएं ऑन लाइन भी FIR दर्ज करवा सकती हैं।

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

योजना

वन स्टॉप सेंटर (सखी) अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउन्सलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेन्टर में उपलब्ध करायी जायेगी।

लक्षित समूह

• हिंसा से पीड़ित महिलायें, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की बालिकायें भी सम्मिलित है, को सहायता प्रदाय करना। • 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को सेन्टर से जोड़ना।

उद्देश्य

• एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदाय करना। • पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधायें उपलब्ध करना, जैसे-चिकित्सा, विधिक, मनौवैज्ञानिक परामर्श आदि।

Govt.Tulsi College Anooppur
@GovtTulsi

ऊषा किरण(सखी) कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल के तीसरे मंजिल पर स्थापित One Stop Center(OSC) के सुचारू संचालन के लिए कलक्टर अनुपपुर के अध्यक्षता में आहूत बैठक में भाग लेने गयी डॉ आकांक्षा और सुश्री प्रीति वैश्य। वन स्टॉप सेंटर में एक ही छत के नीचे पीड़ित महिला पा सकेगी मदद।

Translate Tweet

संपर्क

हमारे बारे में

10:28 PM · Jul 20, 2020 · Twitter for Android

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
D'stt. Anuppur (M.P.)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in ☎9893076404

One stop centre 2020

वन स्टॉप सेंटर (सखी)योजना पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक 21-07-2020 को , ऊषा किरण योजना अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर (सखी) पीड़ित महिला सहायता केंद्र एवं योजना के प्रचार एवं महिलाओं व छात्राओं को जागरूक किये जाने के संबंध में, महिला प्रकोष्ठ द्वारा महाविद्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. परमानंद तिवारी जी द्वारा की गई। छात्राओं को महिला हिंसा से सुरक्षा संबंधी विधिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की समस्त महिला सहा. प्राध्यापकों एवं छात्राओं ने सहभागिता की।

डॉ आकांक्षा राठौर
सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग)
प्रीति वैश्य
सहा. प्राध्यापक (अर्थशास्त्रविभाग)

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)